उत्तर प्रदेश शासन,

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

संख्याः-15/615/अड्तीस-5-2015-1सम/2015

लखनऊः दिनांक 10 जून, 2015

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

"मुख्यमंत्री जल बचाओं अभियान योजना" का क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-242/अड्तीस-5-2015-01 सम/ 2015, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 के प्रस्तर-3 (iv) में यह व्यवस्था है कि एक हैक्टेयर एवं इससे बड़े आकार के तालाबों को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत सस्टेनविलिटी मद से इनलेट तथा तालाबों की खुदाई का कार्य कराया जायेगा।

2. "मुख्यमंत्री जल बचाओं अभियान योजना" सम्बन्धी उपरोक्त शासनादेश दिनांक 06-04-2015 के अनुक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत सस्टेनविलिटी मद से एक हैक्टेयर एवं इससे बड़े आकार के तालाबों के कार्य कराये जाने हेतु बेहतर प्रतिस्पर्धा के दृष्टिगत लघु सिचाई विभाग, यू0पी0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड एवं उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किये जाते हैं।

3. तालाबों की खुदाई से सम्बन्धित कार्ययोजना बनाकर जिला स्तरीय टेक्निकल को-आर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति से प्राक्कलनों/डिजाइन का परीक्षण कराया जाय।ग्रामीण पेयजल से सम्बन्धित राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0एस0सी0) से अनुमोदन के बाद शासन से कार्ययोजना की स्वीकृति आदेश निर्गत होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराये जाये।

4. इस सम्बन्ध में कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

राम बहादुर

सचिव।

<u>संख्याः 615(1)/अड्तीस-5-2015, तद्दिनांक</u>

1. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
2. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कार्पो0 लि0, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)

http://shasanadesh.up.nic.in

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in